श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा प्रकरण रीवा जिला रीवा म0 प्र0

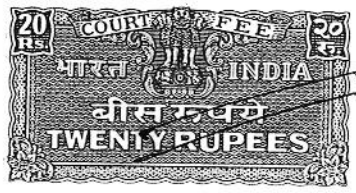

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R-3902-III/14

401
10.11.14

1-राजेन्द्र प्रसाद पटेल उम्र 42 वर्ष तनय श्री कालिका प्रसाद पटेल
2-गिरजा प्रसाद पटेल उम्र 45 वर्ष, तनय श्री कालिका प्रसाद पटेल
दोनो निवासी ग्राम चिरहुला तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0 ----आवेदक गण

बनाम

1-कालिका प्रसाद तनयाश्री स्व0नर्वदा प्रसाद पटेल उम्र 72 वर्ष पेशा खेती, निवासी ग्राम चिरहुला तहसील हूजूर जिला रीवा म0 प्र0

2-शासन म0 प्र -----अनावेदक

श्री हीरालाल पटेल एड के द्वारा आज दिनांक 10.11.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक________ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक________को प्राप्त

निगरानी बिरुद्ध आदेश श्री राजस्व निरीक्षक सर्किल गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा रा0 प्रकरणक्र0 353अ12/013-14 आदेश दिनांक 23/9/14 मुताविक धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता सन 1959 ई0

मान्यवर,

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म प्र. ग्वालियर

निगरानी के आधार निम्नलिखित है।

1-यह कि अधी0 अधिकारी का आदेश बिधि एवं प्रकिया के बिरुद्ध है।

2- यहकि भूमि नं0 37 का नक्सा तरमीम नही था, तथा नक्सा में भूमिनं0 37/1 ,37/2 ,37/3 ,37/4 की स्थित अलग से वर्णित नही थी, तब अनावेदक क0 1 द्वारा दिये गये भूमि नं0 37/1 का सीमांकन किया जाना सम्भव नही था,किन्तु बिना नक्सा तरमीम के आवेदक द्वारा बताये गये स्थान पर भूमि नं0 37/1 मानकर सीमांकन कार्यवाही करने में अधी0 अधिकारी ने भूल की है।

क्रमांक 3631 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ________को 13.11.14
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म प्र. ग्वालियर

3- यह कि अनावेदक क0 1द्वारा दिया गया सीमांकन आवेदन पत्र सीमांकन के लिये बने नियमो के तहत प्रस्तुत नही किया गया था, क्यो कि जिस भूमि का सीमांकन चाहा गया था, उस भूमि का नक्सा प्लाट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नही कियागया, और ना ही सरहदद्दी कास्तकारो को पक्षकार बनाकर उन्हे सूचना ही दी गई थी, फिर भी बिना बिधिवत आवेदन पत्र के तथा बिना सरहदद्दी कास्तकारो को

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3902/I/I/14 जिला रीवा

राजेन्द्र प्रसाद   कालिका प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-01-16	प्रकरण में आवेदक अभिभाषक श्री हीरालाल पटेल उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सर्किल गुढ़ तहसील हुजूर जिला रीवा के प्र०क्र० 35/अ-12/13-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23-9-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा आक्षेपित सीमांकन आदेश दिनांक 23-9-14 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि यह विवाद प्रथमतः तो पिता एवं पुत्रों के मध्य है। इसके अतिरिक्त सीमांकित भूमि क्रमांक 37/1 का नक्शा तरमीम भी नहीं है। प्रकरण में मुख्य रूप से यह तथ्य [illegible] उभर कर सामने आया है कि विवादित भूमि का मूल नम्बर 37 है जिसका विभाजन खसरे में 37/1, 37/2, 37/3 एवं 37/4 निगरानी मेमो में अंकित है, किन्तु सीमांकन कार्यवाही में संलग्न नक्शे की प्रमाणित प्रति में सर्वे क्रमांक 37 का [illegible] भागों में विभक्त होना प्रदर्शित है। [illegible] जबकि संलग्न खसरों की कम्प्यूटराइज्ड प्रतियों के अवलोकन से सर्वे क्रमांक 37 में से कई व्यक्तियों द्वारा क्रय-विक्रय किया जाकर नामांतरण एवं बटवारा खसरा में होना परिलक्षित है।	

R-3902/111/14 शेष

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	राजेन्द्र प्रसाद — कालिका प्रसाद	

उक्त तथ्यों के संबंध में सीमांकन हेतु सीमांकन जांच दल का गठन किया गया था/जांच एवं सीमांकन दल की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 22-9-14 में भी यह अंकित किया गया है कि भूमि क्रमांक 37 की सीमांकन कर कब्जे अनुसार आवेदकगण एवं अनावेदक की भूमियों की सीमा निश्चित कर बताई गई। राजेन्द्र प्रसाद एवं कालिका प्रसाद द्वारा उक्त भूमि में से प्लाट के रूप में भूखण्डों का विक्रय विभिन्न व्यक्तियों के नाम किया गया है, जिसका ले आउट आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार क्रेताओं को प्लाटों या विक्रीत स्थल की जानकारी आवेदक एवं अनावेदक द्वारा ही दी जा सकती है।

परिणामतः नजरी नक्शे में भूमि का नक्शा तरमीम नहीं हुआ है जहां तक सीमांकन की बात है तो मौके पर कब्जे के अनुसार आवेदकों एवं अनावेदक के नाम कर अंक खसरे में अंकित रकबे के अनुसार स्थिति स्पष्ट कर सीमांकन के दौरान बताई जा चुकी है। जहां तक सूचना एवं सीमांकन अभिलेख पर हस्ताक्षर का प्रश्न है तो सीमांकन प्रतिवेदन एवं सीमांकन कार्यवाही संबंधी अभि० सूचना पत्र पर अंकित टीपों से स्पष्ट है कि अनावेदक एवं आवेदकगणों को सूचना दी जाना प्रमाणित है किन्तु हस्ताक्षर नहीं किए गये हैं।

अतः वर्तमान परिस्थितियों में उपलब्ध अभिलेख एवं मौके की स्थिति के अनुसार की गई सीमांकन कार्यवाही समाधानकारक है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है इसके साथ ही वर्तमान कार्यवाही से किसी भी पक्ष के हित भी अनुचित रूप से प्रभावित होना भी परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। चूंकि विवादित सर्वे क्रमांक 37 में कई भूमि स्वामी स्वत्व धारी हैं जिन्हें अपने-2 स्वत्व क्रमांक से अभिलेखीय आधार पर नक्शा तरमीम की कार्यवाही कराना चाहिए जिसके लिये वे स्वतंत्र हैं।

12.1.16